

FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम..... कोटा.....

बीआरबी डवलपर्स..... बनाम..... सखार.....

किस्म मुकदमा..... 136 L R..... नं. 131..... सन् 2025.....

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|---|
| 27/10/25 | <p>राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी वीआरबी डवलपर्स एलएलपी की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली तहसील रिपोर्ट वास्ते दिनांक 30/10/25 को पेश हो।</p> | |
| 30/10/25 | <p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार लाडपुरा से तहसील रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी की ओर से बहस की गई जो सुनी गई। प्रार्थी वीआरबी डवलपर्स एलएलपी की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम रामनगर में नामा0 सं0 406/16.06.2025 बेचान द्वारा खसरा नं0 683/673, 685/680, 687/99, 694/675, 696/676 कय किये गये थे। उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम संलग्न नजरी नक्शे अनुसार की जानी थी। परन्तु सहवन से उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम गलत अंकित कर दी गयी है। जिसे दुरुस्त किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।</p> <p>तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रिपोर्ट में कथन किया गया है कि प्रार्थी प्रस्तुत नक्शे अनुसार काबिज है जबकि रिकॉर्ड व मौके में भिन्नता है।</p> <p>पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दस्तावेज एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम रामनगर के खसरा नं0 683/673, 685/680, 687/99, 694/675, 696/676 की तरमीम तहसील रिपोर्ट में संलग्न नक्शे अनुसार किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें।</p> <p>उक्त निर्णय आज दिनांक 30/10/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> | |



गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... 342905 अदिकारी..... मुकाम..... कोटा.....
 किसान प्रार्थना..... बनाम..... सरकार.....
 किसम मुकदमा..... 136 ए.र..... नं. 130..... सन् 2025.....

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|---|--|
| 27/10/25 | <p>राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी किसान प्राईम इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली तहसील रिपोर्ट वास्ते दिनांक 30/10/25 को पेश हो।</p> | |
| 30/10/25 | <p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार लाडपुरा से तहसील रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी की ओर से बहस की गई जो सुनी गई। प्रार्थी किसान प्राईम इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम रामनगर में नामा सं० 403/12.06.2025 बेचान द्वारा खसरा नं० 688/655, 693/675, 684/680, 678/677, 686/99, 682/673 कय किये गये थे। उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम संलग्न नजरी नक्शे अनुसार की जानी थी। परन्तु सहवन से उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम गलत अंकित कर दी गयी है। जिसे दुरुस्त किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।</p> <p>तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रिपोर्ट में कथन किया गया है कि प्रार्थी प्रस्तुत नक्शे अनुसार काबिज है जबकि रिकॉर्ड व मौके में भिन्नता है।</p> <p>पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दस्तावेज एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम रामनगर के खसरा नं० 688/655, 693/675, 684/680, 678/677, 686/99, 682/673 की तरमीम तहसील रिपोर्ट में संलग्न नक्शे अनुसार किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।</p> <p>उक्त निर्णय आज दिनांक 30/10/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> | |



गजेन्द्र सिंह
 उपजज अदिकारी
 कोटा